खेल विभाग

2.2 खेल विभाग की गतिविधियां

2.2.1 परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1974 में स्थापित खेल विभाग, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है, जिसमें खेल नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, खेल बजट और कर्मचारियों का प्रबंधन, खेल अवस्थापना और उपकरण प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना और विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। विभाग का उद्देश्य खेल सुविधाओं में सुधार करके उदीयमान खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल करने हेतु प्रोत्साहित करना है। खेल विभाग, खेल से संबंधित प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग, स्वायत्त खेल संघों और अन्य खेल आयोजकों के साथ समन्वय में काम करता है।

देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद, राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन के मामले में राज्य का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। पिछले चार राष्ट्रीय खेलों में राज्य के प्रदर्शन में असंगत रुझान रहा क्योंकि पदक तालिका में राज्य की स्थिति 2007 में नौवीं (77 पदक), 2011 में दसवीं (70 पदक), 2015 में चौदहवीं (68 पदक) और 2022 में आठवीं (56 पदक) रही।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (खेल) तथा निदेशालय स्तर पर खेल निदेशक, खेल विभाग की क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन करने हेतु उत्तरदायी हैं। मंडल स्तर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी खेल विभाग की गतिविधियों का संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, लखनऊ के माध्यम से तीन स्वायत्त स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

खेल विभाग की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने हेतु की गयी कि क्या:

- राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु वातावरण तैयार करने हेतु व्यापक योजना बनाई गयी तथा खेल क्रियाकलापों का बेहतर संचालन किया गया;
- धनराशि पर्याप्त थी, समय पर जारी की गयी और उसका मितव्ययितापूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया;
- खेल अवस्थापना और सुविधाओं का पर्याप्त रूप से सृजन किया गया, उनका उचित रखरखाव किया गया, प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया और खिलाड़ियों हेतु खेल उपकरण पर्याप्त रूप से उपलब्ध थे;
- उदीयमान खिलाड़ियों को उनके कुशल विकास और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और अन्य सहायता प्रदान की गयी; तथा
- विभाग की विभिन्न क्रियाकलापों के कार्यान्वयन पर नजर रखने हेतु निगरानी प्रणाली पर्याप्त थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए:

a) भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 और भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011;

b) भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश, आदेश और अनुदेश; तथा

c) उत्तर प्रदेश बजट नियमावली और वित्तीय हस्त पुस्तिकाएं।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में अपर मुख्य सचिव खेल एवं निदेशक खेल के कार्यालयों में वर्ष 2016-22 की अवधि की खेल कियाकलापों से संबंधित अभिलेखों की जांच की गयी। 75 में से 13[1] जनपदों का चयन बिना प्रतिस्थापन के सरल यादृच्छिक प्रतिचयन नमूना पद्धति के माध्यम

[1] आगरा, अयोध्या, आज़मगढ़, बांदा, बरेली, इटावा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर।

से किया गया। प्रत्येक चयनित जिले में, क्षेत्रीय/जिला क्रीड़ा अधिकारियों के कार्यालयों में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। लेखापरीक्षा ने तीन स्वायत्त स्पोर्ट्स कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, इटावा के अभिलेखों की भी जांच की। इसके अलावा, निर्मित परिसंपत्तियों और सुविधाओं का फोटोग्राफ, संयुक्त भौतिक निरीक्षण करके भी साक्ष्य एकत्र किए गए।

मानचित्र 1: चयनित नमूना जनपद और इन जनपदों में खेल कार्यालय/कालेज

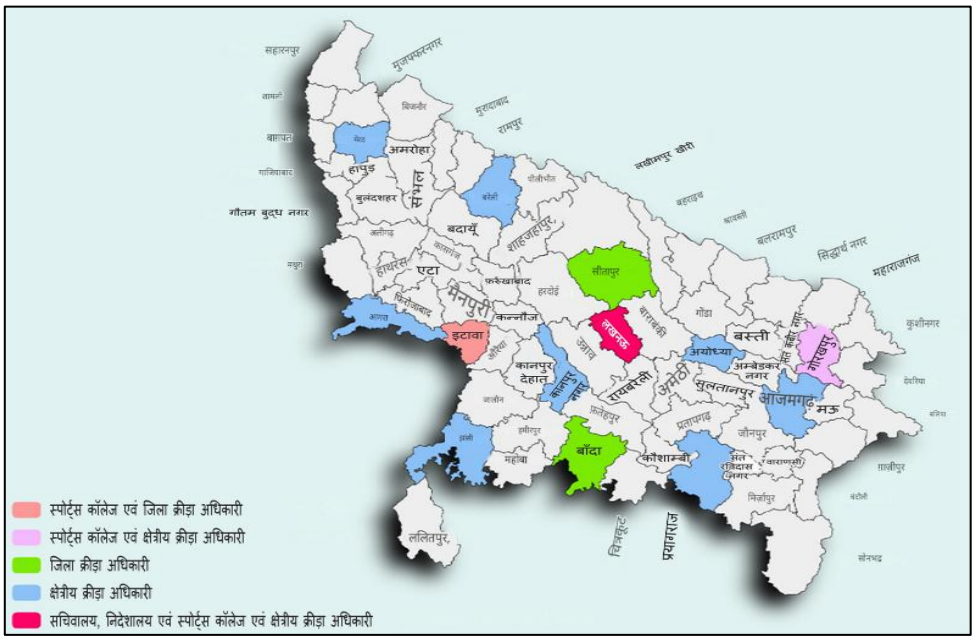

प्रारंभिक बैठक (जुलाई 2022) में प्रमुख सचिव, खेल विभाग के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र, कार्यप्रणाली आदि पर चर्चा की गयी। अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग के साथ समापन बैठक (जुलाई 2023) में प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। शासन के उत्तर (जुलाई 2023), लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर समापन बैठक के समय व्यक्त किए गए विचार और खेल निदेशालय से अगस्त 2024 तक प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओं को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 योजना

खेल विभाग के कार्यों में बुनियादी सुविधाओं का सृजन, खेल क्रियाकलापों का संचालन, खेलों में उत्कृष्टता लाने हेतु प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का चयन शामिल है।

2.2.6.1 खेल नीति

राज्य के युवाओं हेतु खेल संस्कृति और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु राज्य हेतु खेल नीति तैयार करना और उसे अंगीकृत करना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। खेल नीति राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिये निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है। राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक उपायों पर मार्गदर्शन करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शासन ने एक खेल नीति को स्वीकृति मार्च 2023 में दी। मार्च 2023 से पहले राज्य विशिष्ट खेल नीति के अभाव में, शासन को राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में सुझाए गए विभिन्न उपायों को लागू करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए थे। यद्यपि, जैसा कि बाद के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है, राज्य में खेलों के प्रचार और प्रसार हेतु उठाए गए कदम अधिकांशतः तदर्थ थे और राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 के लक्ष्यों और उद्देश्यों से असंगत थे।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि खेल नीति मार्च 2023 में प्रख्यापित कर दी गयी है।

तथ्य यह है कि मार्च 2023 से पहले राज्य विशिष्ट खेल नीति के अभाव में, शासन ने राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 को लागू करने हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए, जैसा कि आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

2.2.6.2 खेल विधाओं को प्राथमिकता देना

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सिद्ध क्षमता, लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर खेल विधाओं को प्राथमिकता देने और विकसित करने पर जोर देती है। विभिन्न विधाओं के विकास की योजना बनाते समय, आनुवंशिक और भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि संभावित क्षेत्रों में वर्तमान और उदीयमान प्रतिभाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु समय पर कदम उठाए जा सकें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खेल विभाग 31 खेलों[2] में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा था। यद्यपि, खेल विभाग ने खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु विकास

[2] वर्ष 2019-20 में खेल विभाग ने 32 खेलों में शिविर आयोजित किए।

हेतु खेल विधाओं को प्राथमिकता नहीं दी जैसा कि राष्ट्रीय खेल नीति में उल्लिखित है।

2.2.6.3 खेल अवस्थापना की स्थापना हेतु योजना

राज्य में खेल अवस्थापनाओं की उपलब्धता का कोई व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया, ताकि पर्याप्तता और क्षेत्रीय असंतुलन का पता लगाया जा सके। परिणामस्वरूप, राज्य में खेल अवस्थापनाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। खेल सुविधाओं की उपलब्धता के विश्लेषण से पता चला कि 75 जनपदों के सापेक्ष खेल स्टेडियम और बहुउद्देशीय हॉल क्रमशः 70 और 65 जनपदों में उपलब्ध थे, अन्य विशिष्ट खेल सुविधाएँ[3] केवल कुछ जनपदों में उपलब्ध थीं, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.1*** में विस्तृत रूप से वर्णित है। पाँच जनपदों[4] में खेल स्टेडियम और बहुउद्देशीय हॉल जैसी कोई खेल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। खेल अवस्थापनाओं की जनपदवार उपलब्धता निम्नलिखित मानचित्र में दर्शायी गयी है:

मानचित्र 2: खेल विभाग के स्वामित्व वाली खेल अवस्थापनाएँ

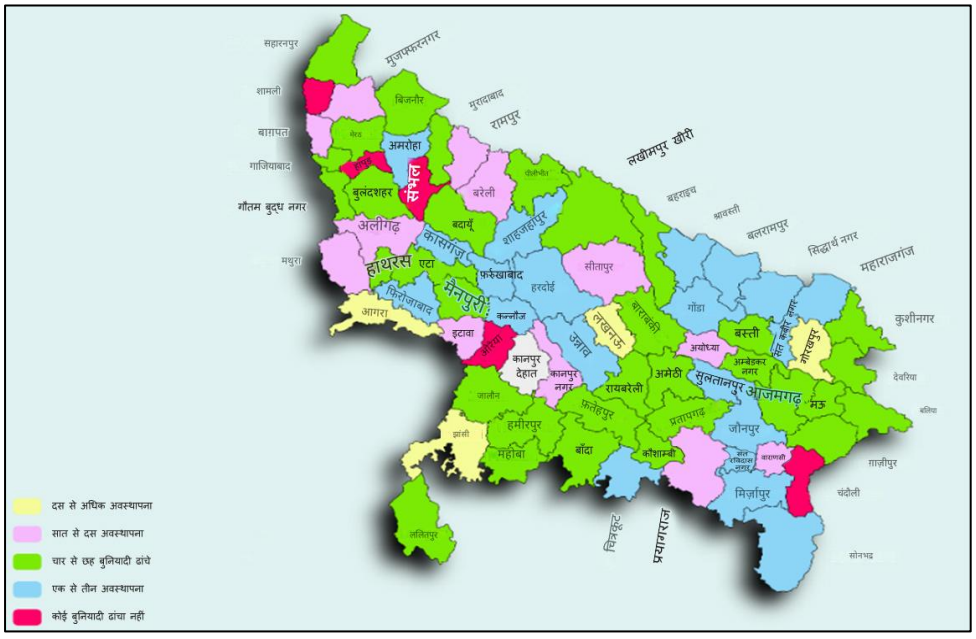

जैसा कि ऊपर दर्शाए गए मानचित्र से स्पष्ट है, विभिन्न खेलों हेतु जनपदों में उपलब्ध खेल सुविधाओं में काफी भिन्नता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि खेल सुविधाओं का निर्माण जनपदवार आवश्यकताओं का आकलन किए बिना किया गया था।

---

[3] तरणताल, जूडो/जिमनेजिम हॉल, भारोत्तोलन हॉल, एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान, खेल परिसर, इनडोर वॉलीबॉल हॉल, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, छात्रावास, खेल छात्रावास और खेल कॉलेज।

[4] औरैया, चंदौली, हापुड, संभल और शामली।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि नई खेल नीति में नीतिगत ढांचे, खेल विधाओं की प्राथमिकता और बजटीय संसाधनों के अनुपातिक वितरण से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है। समापन बैठक (जुलाई 2023) में शासन ने बताया कि मार्च 2023 में खेल नीति लागू कर दी गयी है और खेल विधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शासन ने अग्रत्तेर बताया (जुलाई 2023) कि जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव, उच्च अधिकारियों के निर्देशों और बजट की उपलब्धता के आधार पर जनपदों में खेल अवस्थापनाओं का निर्माण किया गया। बिना खेल अवस्थापना वाले पांच जनपदों में से, शामली हेतु वर्ष 2022-23 में स्टेडियम के निर्माण को स्वीकृति दे दी गयी है और अन्य चार जनपदों में भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।

शासन का उत्तर इस बात पर ज़ोर देता है कि खेल अवस्थापनाओं का निर्माण प्रत्येक जनपद में उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं और उनकी अपर्याप्तताओं के आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर व्यापक मूल्यांकन के स्थान पर मांग-आधारित रहा।

2.2.6.4 खेल अवस्थापना कार्यों की स्वीकृति में विलम्ब

मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2016-22 की अवधि में नौ खेल अवस्थापनाओं के निर्माण/उच्चीकरण कार्यों से संबंधित घोषणाएं कीं गयी, जिनका विवरण **तालिका-1** में दिया गया है।

तालिका 1: मुख्यमंत्री घोषणाओं द्वारा वर्ष 2016-22 की अवधि में शामिल खेल अवस्थापनाओं के कार्यों की स्थिति का विवरण

क्रम सं.	घोषणा का विवरण	घोषणा की तिथि	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तिथि	निर्गत की गयी राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि (पूर्ण होने की संशोधित तिथि)	मार्च 2023 तक भौतिक प्रगति *(प्रतिशत में)*	घोषणा की तिथि के सापेक्ष स्वीकृति में विलम्ब (महीनों में)
01	कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में लिफ्ट का निर्माण	23/09/2016	अक्टूबर 2023 तक इस कार्य हेतु कोई धनराशि निर्गत नहीं की गयी है ।						
02	गोरखपुर के जंगल कौड़िया विकास खंड में स्टेडियम का निर्माण	29/01/2018	10.73	सितंबर 2019	10.73	सितंबर 2019	दिसंबर 2020 (दिसंबर 2021)	100	19

क्रम सं.	घोषणा का विवरण	घोषणा की तिथि	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तिथि	निर्गत की गयी राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि (पूर्ण होने की संशोधित तिथि)	मार्च 2023 तक भौतिक प्रगति *(प्रतिशत में)*	घोषणा की तिथि के सापेक्ष स्वीकृति में विलम्ब (महीनों में)
03	अमेठी में स्टेडियम का उच्चीकरण	14/08/2018	4.93	जून 2019	4.93	सितम्बर 2019	मार्च 2021 (दिसंबर 2021)	100	09
04	फर्रुखाबाद में स्टेडियम का उच्चीकरण	14/08/2018	5.70	अगस्त 2019	5.70	अक्टूबर 2019	सितंबर 2020 (मई 2022)	100	11
05	औरैया में स्टेडियम का निर्माण	14/08/2018	6.51	नवंबर 2019	6.51	जनवरी 2020	अक्टूबर 2023	90	14
06	गोंडा के नंदिनी नगर में इनडोर स्टेडियम का निर्माण	30/11/2018	निरस्त						
07	वाराणसी में शूटिंग रेंज का निर्माण	21/02/2019	5.04	जनवरी 2021	5.04	जुलाई 2021	अगस्त 2023	100	22
08	मेरठ में शूटिंग रेंज का आधुनिकीकरण	21/02/2019	8.65	जुलाई 2021	8.65	जुलाई 2021	दिसंबर 2023	88	28
09	लखनऊ में कुश्ती अकादमी	19/08/2021	अक्टूबर 2023 तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।						
योग			**41.56**		**41.56**				

(स्रोत: खेल निदेशालय)

जैसा कि तालिका 1 में विस्तृत रूप से बताया गया है, जून 2019 से जुलाई 2021 की अवधि में छह कार्यों की स्वीकृति उनकी घोषणा के नौ से 28 माह विलम्ब से दी गयी थी। इनमें से चार कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण हो गए। यद्यपि, दो कार्यों हेतु अभी भी धनराशि निर्गत की जानी थी और एक कार्य घोषणा के बाद निरस्त कर दिया गया था। परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब विभाग की ओर से योजना की कमी का संकेत थी।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि विभाग द्वारा कोई विलम्ब नहीं किया गया। अग्रेत्तर बताया गया कि घोषणा के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर पर कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद कार्यों हेतु स्वीकृति जारी की गयी। यद्यपि समापन बैठक (जुलाई 2023) में शासन ने कार्यों की स्वीकृति में

विलम्ब को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में कार्यों की किसी भी घोषणा से पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट बनायी जायेगी।

2.2.7 बजट आवंटन और व्यय

राज्य में खेल क्रियाकलापों पर वर्ष 2016-22 की अवधि में बजट आबंटन और व्यय **तालिका 2** में दिया गया है।

तालिका 2: खेल विभाग हेतु 2016-22 की अवधि में बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट			व्यय			बजट के सापेक्ष बचत और उसका प्रतिशत		
	राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व (*प्रतिशत*)	पूंजीगत (*प्रतिशत*)	योग (*प्रतिशत*)
2016-17	100.31	447.21	547.52	97.81	413.43	511.24	2.50 (2)	33.78 (8)	36.28 (7)
2017-18	92.31	132.27	224.58	89.47	82.27	171.74	2.84 (3)	50.00 (38)	52.84 (24)
2018-19	119.51	76.77	196.28	97.88	57.97	155.85	21.63 (18)	18.80 (24)	40.43 (21)
2019-20	126.56	79.25	205.81	91.01	62.88	153.89	35.55 (28)	16.37 (21)	51.92 (25)
2020-21	132.99	83.11	216.10	59.19	61.47	120.66	73.80 (55)	21.64 (26)	95.44 (44)
2021-22	165.45	99.30	264.75	147.60	51.30	198.90	17.85 (11)	48.00 (48)	65.85 (25)
योग	**737.13**	**917.91**	**1655.04**	**582.96**	**729.32**	**1312.28**			

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

लेखापरीक्षा ने पाया कि खेल विभाग ने व्यय के सापेक्ष 98 से 315 प्रतिशत तक अधिक बजट मांग प्रस्तुत की, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.2.2*** में दिया गया है। यद्यपि, जैसा कि **तालिका-2** में उल्लेख किया गया है, आवंटित धन का भी उपयोग नहीं किया जा सका। वर्ष 2016-21 की अवधि में खेल क्रियाकलापों पर व्यय ₹ 511.24 करोड़ से घटकर ₹ 120.66 करोड़ हो गया, परन्तु वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर ₹ 198.90 करोड़ हो गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016-17 की अवधि में अधिक व्यय मुख्य रूप से सैफई, इटावा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर ₹ 273.35 करोड़ के व्यय के कारण हुआ था।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि खेल विभाग ने अधिक बजट मांग नहीं की हैं, बजट मांग स्वीकृत कार्यों हेतु धन की आवश्यकता पर आधारित थीं। यद्यपि, समापन बैठक में शासन ने बताया कि भविष्य में अनुमानित व्यय के सापेक्ष वास्तविकता के आधार पर बजट की मांग की जाएगी।

2.2.8 खेल अवस्थापना

2.2.8.1 खेल अवस्थापना का विकास

विभाग के उत्तरदायित्वों में से एक विभिन्न खेल विधाओं हेतु खेल अवस्थापनाओं का विकास करना है। खेल अवस्थापना की सुविधाएं प्रदान करने/बढ़ाने हेतु विभाग ने वर्ष 2016-22 की अवधि में 56 कार्यों को क्रियान्वित किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.3*** में वर्णित है। इन 56 कार्यों में से 44 कार्य वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत किए गए, जैसा कि **तालिका 3** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3: वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत खेल अवस्थापनाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत/ संशोधित लागत	निर्गत की गयी धनराशि	मार्च 2023 तक पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या
2016-17	07	71.80	71.78	07
2017-18	05	24.31	24.31	04
2018-19	12	38.00	38.00	12
2019-20	12	57.70	54.93	07
2020-21	06	24.41	14.53	04
2021-22	02	10.15	9.72	शून्य
कुल योग	**44**	**226.37**	**213.27**	**34**

(स्रोत: खेल निदेशालय)

जैसा कि तालिका 3 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत 44 कार्यों में से मात्र 34 कार्य (अनुमानित लागत ₹ 169.47 करोड़) ही ₹168.61 करोड़ का व्यय करते हुए मार्च 2023 तक पूर्ण किए जा सके । शेष 10 कार्य (अनुमानित लागत ₹ 56.90 करोड़) मार्च 2023 तक पूर्ण नहीं हुए, यद्यपि, नौ कार्यों के संदर्भ में, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि नौ से 45 माह पूर्व में ही समाप्त हो चुकी थी जबकि एक कार्य (वर्ष 2020-21 में स्वीकृत) के संदर्भ में, निर्धारित पूर्णता तिथि अप्रैल 2023 थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.3*** में वर्णित है। निदेशालय ने कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब का कारण नहीं बताया।

खेल विभाग ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में 12 अन्य खेल अवस्थापना कार्यों को भी क्रियान्वित किया, जिन्हें वर्ष 2016-17 से पूर्व स्वीकृत किया गया था। इन 12 कार्यों में से, ₹ 440.35 करोड़ की लागत वाले चार कार्य अपूर्ण थे, जिनमें ₹ 244.40 करोड़ व्यय करने के पश्चात

भी भौतिक प्रगति 30 से 96 प्रतिशत ही थी। इन कार्यों में विलम्ब की अवधि प्रारंभिक निर्धारित समाप्ति तिथि से तीन वर्ष से 13 वर्ष तक थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.3*** में विस्तृत रूप से वर्णित है।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि कार्यों में विलम्ब प्रक्रियागत और परिस्थितिजन्य था। यद्यपि, समापन बैठक में शासन ने कार्य पूर्ण होने में विलम्ब की बात स्वीकार की और कहा कि कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि बिलम्ब के परिणामस्वरूप कार्य की लागत में वृद्धि हुयी। वर्ष 2016-22 की अवधि में निष्पादित 56 कार्यों में से 14 कार्यों के सन्दर्भ में जिनमें 9 से 165 महीने का बिलम्ब था, की लागत में ₹ 308.83 करोड़ की वृद्धि हुयी।

लेखापरीक्षा में खेल अवस्थापना से संबंधित कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

2.2.8.2 प्रतिस्पर्धी बोली के बिना कार्यों का आवंटन

शासनादेश (फरवरी 2013) में लोक निर्माण विभाग और शासन के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित कार्यदायी संस्थाओं की एक सूची दी गयी है, ताकि इन कार्यदायी संस्थाओं को विभिन्न शासकीय कार्यों का आवंटन किया जा सके। अग्रतेर नामांकन के साथ-साथ प्रशासनिक विभाग के पास कार्य देने हेतु शासकीय संस्थाओं के मध्य सीमित निविदा प्रक्रिया को अपनाने का विकल्प भी उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, शासनादेश (सितंबर 2013) के अनुसार खेल विभाग के निर्माण कार्यों हेतु, कार्यदायी संस्थाओं के चयन हेतु कम से कम तीन कार्यदायी संस्थाओं से प्राक्कलन प्राप्त किए जाने थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी कार्यदायी संस्था कम लागत पर निर्माण कार्य करेगी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खेल विभाग ने वर्ष 2016-22 की अवधि में 44 कार्यों (अनुमानित लागत: ₹ 209.72 करोड़) के सन्दर्भ में उचित दरों को सुनिश्चित करने हेतु कम से कम तीन कार्यदायी संस्थाओं से प्राक्कलन प्राप्त किए बिना ही कार्यदायी संस्थाओं[5] को नामित किया।

[5] उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (11 कार्य); उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (छह कार्य); कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (एक कार्य); उत्तर प्रदेश निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (20 कार्य) और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड (छह कार्य)।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि विभाग द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाएँ ई-निविदा के माध्यम से आवंटित कार्य निष्पादित कर रही थीं, इसलिए प्रतिस्पर्धा थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कम से कम तीन कार्यदायी संस्थाओं से प्राक्कलन प्राप्त किए बिना कार्यदायी संस्थाओं का नामांकन करना शासनादेश (सितंबर 2013) का उल्लंघन था।

2.2.8.3 कार्यदायी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 212(vii)(4) में प्रावधान है कि विभाग को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध/समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करना चाहिए। कार्यदायी संस्था को त्रुटि/कार्य के समय पर निष्पादन न करने हेतु उत्तरदायी ठहराने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खेल विभाग ने उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया तथा कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना ही कार्य प्रारंभ करा दिया तथा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में स्वीकार किया कि कार्यदायी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया गया। आगे शासन ने बताया कि भविष्य में समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा। खेल निदेशालय ने बताया (सितंबर 2023) कि वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति कार्यदायी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों के अभाव में नहीं लगाई जा सकी।

इस प्रकार, खेल विभाग समझौता ज्ञापन के अभाव के कारण खेल अवस्थापना के निर्माण में विलम्ब के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति लगाने के अधिकार से वंचित रह गया।

2.2.8.4 अवस्थापनाओं के निर्माण पर निष्फल व्यय

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 212(i) में प्रावधान है कि परियोजना की तैयारी प्रशासनिक विभाग द्वारा व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के साथ प्रारंभ होनी चाहिए। परियोजना की अवधारणा और रचना में हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनके साथ परामर्श किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित खेल अवस्थापना के निर्माण पर निष्फल व्यय पाया गया:

(i) सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

शासन ने सैफई में विशिष्ट खेल परिसर के निर्माण हेतु ₹ 74.95 करोड़ की स्वीकृति (जनवरी 2006) दी, जिसमें ₹ 21.05[6] करोड़ की लागत से एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, शासन ने मैदान की घास और पिच तैयार करने हेतु ₹ 0.50 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2008) किया। यह कार्य फरवरी 2007 तक पूर्ण होना था। यद्यपि, स्टेडियम का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के पश्चात्, अधोमानक कंक्रीट और स्टील के सुदृढ़ीकरण के कारण पवेलियन के आठ पैनल गिर गए (फरवरी 2007), जैसा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट (अप्रैल 2007) में पाया गया। शासन ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निर्माण कार्य को ध्वस्त करने और खेल विभाग के संबंधित लेखाशीर्ष में ₹ 21.55 करोड़ जमा करने का निर्देश (मई 2014) दिया। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने शासन के खाते में ₹ 21.55 करोड़ जमा (जून 2014) कर दिया। इसके पश्चात् क्रिकेट की उच्च स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सैफई खेल संकुल में जिसे भविष्य में खेल विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा सके, शासन ने ₹ 260.30 करोड़ की लागत से 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति (अगस्त 2015) दी। विभाग ने अगस्त 2015 से अप्रैल 2016 अवधि में कार्यदायी संस्था को ₹163.73 करोड़ अवमुक्त किए। कार्य के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और कार्य की लागत में वृद्धि के कारण परियोजना लागत को बाद में संशोधित (मई 2016) कर ₹ 346.57 करोड़ कर दिया गया। यद्यपि, निदेशालय के पास कोई भी व्यवहार्यता प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था, जिस पर विचार करते हुए स्टेडियम का निर्माण किया गया।

सैफई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण ₹ 347.05 करोड़ की लागत से किया गया था और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने जून 2020[7] तक स्टेडियम का निर्माण पूर्ण कर लिया था। यद्यपि, स्टेडियम के निर्माण के दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी, सितंबर 2022 तक स्टेडियम में किसी भी स्तर का कोई क्रिकेट मैच आयोजित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन हेतु

---

[6] सिविल कार्य ₹12.13 करोड़ और यांत्रिक कार्य ₹ 8.92 करोड़।

[7] इटावा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित समिति ने कार्य को संतोषजनक पाते हुए स्टेडियम को हस्तगत करने की संस्तुति (जून 2020) की थी। यद्यपि, निदेशालय ने लेखापरीक्षा को हस्तगत होने की तिथि उपलब्ध नहीं करायी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड/उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के साथ कोई अनुबंध/समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया गया था। स्टेडियम में मैदान का उपयोग कॉलेज के क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा था, यद्यपि, अंतरराष्ट्रीय स्तर की अन्य उच्च स्तर की सुविधाएं जैसे कि दर्शकदीर्घा, मीडिया और टीवी प्रोडक्शन रूम, विभिन्न प्रकार की उत्कृष्ट सुविधाएं, लिफ्ट आदि अप्रयुक्त थीं और उन पर किया गया व्यय निष्फल हो गया।

फोटो 1: सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ किया गया था और वर्ष 2021-22 में इसे कॉलेज को सौंप दिया गया। साथ ही, मैदान का उपयोग कॉलेज के क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्रों के अभ्यास हेतु सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उपयोग करना, दर्शकदीर्घा, मीडिया और टीवी प्रोडक्शन रूम के साथ 40,000 बैठने की क्षमता वाले स्टेडियम के निर्माण को उचित नहीं ठहराता। अग्रेतर, जैसा कि निदेशालय द्वारा स्वीकार (अक्टूबर 2023) किया गया है, कि स्पोर्ट्स कॉलेज को छात्रों को केवल एक मानक खेल का मैदान, जैसे अभ्यास पिच आदि प्रदान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ₹ 347.05 करोड़ की लागत से इस खेल अवस्थापना के निर्माण को उचित ठहराने वाले किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन

का अभाव था और शासन द्वारा स्टेडियम को अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

(ii) मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में तरणताल

खेल विभाग ने मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज में ₹ 207.96 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय मानक के समस्त मौसम के अनुकूल तरणताल का निर्माण[8] किया, जिसे कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने जनवरी 2020 में हस्तगत करा दिया। तरणताल परिसर में तीन तरणताल[9], दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा आदि शामिल थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज तरणताल में विद्युत् आपूर्ति हेतु 33 केवीए विद्युत संयोजन (जनवरी 2019) स्थापित किया गया। तरणताल के निर्माण की अवधि में, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने विद्युत् का उपयोग किया, लेकिन ₹ 1.25 करोड़ के विद्युत् बिल का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरुप, विद्युत् वितरण कंपनी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कार्यदायी संस्था द्वारा तरणताल को हस्तगत किये जाने से पूर्व ही विद्युत संयोजन विच्छेदित (सितंबर 2019) कर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं वाला तरणताल कभी भी क्रियाशील नहीं था। तीन तरणताल में से, अभ्यास और मुख्य तरणताल का उपयोग वर्ष 2020-22 की अवधि में कक्षा सात से बारह[10] के प्रशिक्षु खिलाड़ियों द्वारा किया गया था, जबकि डाइविंग तरणताल का कभी उपयोग नहीं किया गया था। विद्युत संयोजन के अभाव में, तरणताल में स्थापित मशीनरी/उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिससे कॉलेज में नामांकित छात्रों के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने (सितंबर 2022) के बाद भी अंतरराष्ट्रीय तरणताल में किसी भी स्तर की कोई प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गयी।

---

[8] शासन द्वारा दिसंबर 2012 में तरणताल के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

[9] अभ्यास तरणताल 18.00X25.00 मीटर (1.50 मीटर गहराई), मुख्य तरणताल 50.00X25.00 मीटर (2.00 मीटर गहराई) और डाइविंग तरणताल 25.00X25.00 मीटर (5.00 मीटर गहराई)।

[10] वर्ष 2020-21 (19 प्रशिक्षु) और वर्ष 2021-22 (17 प्रशिक्षु)।

फोटो 2: सैफई खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय तरणताल

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाडियों के अभ्यास हेतु एक तरणताल में विद्युत संयोजन उपलब्ध करा दिया गया है। स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य को विद्युत बिल की देयता का आकलन करने के निर्देश (जुलाई 2023) जारी कर दिए गए हैं तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि तरणताल के संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2023) में पाया गया कि किसी भी तरणताल में विद्युत संयोजन नहीं था। तरणताल परिक्षेत्र के बाहर स्थापित पंप का उपयोग करके अभ्यास तरणताल और मुख्य तरणताल में पानी भरा और निकाला जा रहा था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने लंबित विद्युत बिल हेतु ₹ 18.00 करोड़ की मांग (जून 2024) की थी, जिसका भुगतान किया जाना अवशेष है। इसके अतिरिक्त, डाइविंग तरणताल का उपयोग नहीं किया गया था, विद्युत संयोजन की कमी के कारण पूल में स्थापित मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया था और तरणताल हस्तगत होने के बावजूत कोई अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया गया था। इस प्रकार, तरणताल का वांछित से कम उपयोग किया जाना ₹ 207.96 करोड़ की लागत से इस खेल अवस्थापना के निर्माण पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

(iii) लखनऊ में निर्माणाधीन वेलोड्रोम स्टेडियम

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली[11] में यह प्रावधान है कि वृहद्, लाभार्थी-उन्मुख परियोजनाओं के सन्दर्भ में आधारभूत सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। परियोजना के प्रत्येक प्रदाय योग्य/उत्पादन हेतु सफलता मानदंड भी मापने योग्य शर्तों में निर्दिष्ट किए जाने चाहिए ताकि निकटतम लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन किया जा सके।

शासन ने गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में ₹ 167.94[12] करोड़ की लागत से वेलोड्रोम स्टेडियम के निर्माण हेतु एक परियोजना स्वीकृत की (फरवरी 2015) तथा कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम) को उपलब्ध कराने हेतु ₹ पांच करोड़ अवमुक्त (फरवरी 2015) किया। वेलोड्रोम स्टेडियम का निर्माण उद्दीयमान साइकिलिस्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रस्तावित (अप्रैल 2013 और अक्टूबर 2014) किया गया ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें और राज्य का नाम रोशन कर सकें। राष्ट्रीय खेल वर्ष 2015-16 के आयोजन के शासन के निर्णय की दृष्टि में भी वेलोड्रोम स्टेडियम का प्रस्ताव रखा गया था। इस परियोजना को जून 2015 में प्रारम्भ करके मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि, कार्य दिसंबर 2015 में प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर कार्य के कार्यक्षेत्र[13] में परिवर्तन कर परियोजना को संशोधित कर (जुलाई 2021) ₹ 158.97 करोड़ कर दिया गया।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने वर्ष 2021-22 तक अवमुक्त ₹ 60.00 करोड़[14] के सापेक्ष जनवरी 2023 तक ₹ 51.56 करोड़[15] व्यय किया। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रतिवेदन (जनवरी 2023) के अनुसार शासन ने इस आधार पर कार्य रोक दिया था कि राज्य में साइकिल चालकों की संख्या बहुत कम थी और वे नोएडा और दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे थे, इसे देखते हुए, वेलोड्रोम को इनडोर

---

[11] उत्तर प्रदेश बजट नियमावली का अनुलग्नक ए, पैरा (xv)।

[12] सिविल कार्य ₹ 113.09 करोड़ और विद्युत कार्य ₹ 54.85 करोड़।

[13] बैठने की व्यवस्था में संशोधन, पूर्ण रूप से ढके हुए वेलोड्रोम के स्थान पर अर्ध-ढका हुआ वेलोड्रोम, छत की विशिष्टता में संशोधन, एयर कंडीशनिंग कवरेज में संशोधन, सिविल कार्य में संशोधन, अर्थात, पाईल का कार्य, पार्किंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), आदि।

[14] वर्ष 2014-15 में ₹ 5.00 करोड़, वर्ष 2017-18 में ₹ 15.00 करोड़, वर्ष 2018-19 में ₹ 10.00 करोड़, वर्ष 2019-20 में ₹ 10.00 करोड़, वर्ष 2020-21 में ₹ 10.00 करोड़ और वर्ष 2021-22 में ₹ 10.00 करोड़।

[15] वर्ष 2015-16 में ₹ 0.52 करोड़, वर्ष 2016-17 में ₹ 4.11 करोड़, वर्ष 2017-18 में ₹ 0.0009 करोड़, वर्ष 2018-19 में ₹ 13.02 करोड़, वर्ष 2019-20 में ₹ 5.06 करोड़, वर्ष 2020-21 में ₹ 2.96 करोड़, वर्ष 2021-22 में ₹ 4.66 करोड़ और वर्ष 2022-23 में ₹ 9.73 करोड़।

सिंथेटिक ट्रैक के रूप में उपयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से संशोधित अनुमान की मांग की गयी थी। वेलोड्रोम कार्यक्षेत्र में किए गए परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि परियोजना को वेलोड्रोम स्टेडियम की आवश्यकता का आकलन करने हेतु आधारभूत सर्वेक्षण किए बिना ही प्रारम्भ किया गया था। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा कार्य के कार्यक्षेत्र में बीच में बदलाव के कारण कार्य पर किया गया ₹ 51.56 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

फोटो 3: वेलोड्रोम के निर्माण कार्य की स्थिति

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि वेलोड्रोम का निर्माण कार्य फरवरी 2015 में स्वीकृत हुआ था और 2016-17 में बन्द कर दिया गया था। शासन की स्वीकृत से कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2023) से ज्ञात हुआ कि वेलोड्रोम का कार्य रोक दिया गया था और कार्यदायी संस्था ने संरचना को इनडोर सिंथेटिक ट्रैक के रूप में उपयोग करने हेतु एक विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त, शासन वेलोड्रोम स्टेडियम के कार्य के कार्यक्षेत्र में लगातार हो रहे परिवर्तन पर कोई उत्तर नहीं दिया ।

2.2.8.5 अवस्थापनाओं का अनुरक्षण और उपयोग

खेलों को बढ़ावा देने हेतु निर्मित अवस्थापनाओं का अनुरक्षण और उचित उपयोग एक महत्वपूर्ण घटक है। लेखापरीक्षा ने राज्य में समग्र खेल सुविधाओं के अनुरक्षण और उपयोग से संबंधित अभिलेखों की जांच की। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

(i) निर्मित अवस्थापनाओं की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु नीति

उत्तर प्रदेश की व्यय वित्त समिति ने खेल विभाग को राज्य में स्थापित किए जा रहे विभिन्न प्रकार के क्रीड़ागनों और अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसरों के अनुरक्षण और अनुरक्षण हेतु आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु एक राज्य नीति तैयार करने का निर्देश (फरवरी 2016) दिया था। यह अपेक्षा की गयी थी कि राज्य नीति राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल अवस्थापनाओं के उचित रखरखाव/मरम्मत को सक्षम बनाएगी जो राज्य में खिलाड़ियों को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2023) कि खेल विभाग ने निर्मित अवस्थापनाओं की मरम्मत और अनुरक्षण के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि विभिन्न जनपदों में निर्मित खेल अवस्थापनाओं का अनुरक्षण जनपदों से प्राप्त अनुरक्षण के प्रस्तावों और बजट की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। समापन बैठक में, शासन ने निर्मित अवस्थापनाओं की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु नीति की कमी के सम्बन्ध में तथ्य को स्वीकार किया और अग्रेतर बताया कि चूंकि धन की कमी है, इसलिए अनुरक्षण एक मुद्दा बना हुआ है।

(ii) परिसंपत्ति पंजिका का रखरखाव न करना

वित्तीय हस्त पुस्तिका[16] में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भूमि और विभागीय भवनों का पंजिका निर्धारित प्रारूप[17] में बनाए रखने का प्रावधान है। स्थानीय अधिकारी इन अभिलेखों को अद्यतन रखने हेतु उत्तरदायी है, और वर्ष में एक बार यह प्रमाणित करता है कि उसके अधीन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए 13 क्षेत्रीय/जिला क्रीड़ा अधिकारियों में से 10[18] ने निर्धारित प्रपत्रों में संपत्ति पंजिका नहीं बनायी थी और संपत्ति के भौतिक सत्यापन के संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। नमूना जांच किए गए जनपदों में भूमि और खेल अवस्थापना का विवरण एक पंजिका में अंकित किया गया था। यद्यपि, शेष तीन जनपदों[19] में

[16] वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-V, भाग-I-नियम 265 और 266।

[17] वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-V में फॉर्म 26 से 28।

[18] आगरा, अयोध्या, आज़मगढ़, बांदा, बरेली, झाँसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर।

[19] इटावा, गोरखपुर और कानपुर।

पंजिकायें भी नहीं बनायी गयी थी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर निम्नलिखित पाया:

- जनपद झांसी में, 21 एकड़ भूमि जो मार्च 1991 में खेल विभाग को हस्तांतरित की गयी थी, प्रथम बार मार्च 2006 में अतिक्रमित पाई गयी थी। सितंबर 2022 तक अतिक्रमित भूमि का मूल्य ₹ 42.49[20] करोड़ था।

अग्रेतर लेखापरीक्षा ने पाया कि झांसी के जिलाधिकारी ने खेल विभाग को सूचित (अगस्त 2010) किया कि वर्ष 2002-05 की अवधि में जनपद में तैनात दो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों ने भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और इसलिए, जिलाधिकारी ने खेल विभाग से इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2007 और सितंबर 2017 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गये थे। यद्यपि, न तो भूमि खाली कराई जा सकी और न ही अक्टूबर 2022 तक अतिक्रमणकारियों और उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी।

- उप-विभागीय मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार, *बख्शी का तालाब, लखनऊ* ने जनवरी 2015 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य को सूचित किया कि कॉलेज की 27,000 वर्ग गज भूमि पर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कॉलेज प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अतिक्रमित भूमि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की है। अतिक्रमित भूमि की कीमत ₹17.22 करोड़[21] थी। कॉलेज प्रशासन ने अतिक्रमित भूमि को खाली करवाने हेतु गंभीर प्रयास नहीं किए, यहाँ तक की उसने अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करायी (अगस्त 2022)।

- जनपद इटावा में, जुलाई 2022 से स्टेडियम परिसर में एक निजी कुश्ती अकादमी संचालित थी। जिला क्रीडा अधिकारी ने बताया (सितंबर 2022) कि अकादमी जनपद के तत्कालीन क्रीड़ा अधिकारी के मौखिक आदेश पर संचालित थी।

- लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेट्रो स्टेशन और उसके प्रवेश/निकास के निर्माण हेतु केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ की

[20] सर्कल रेट (सितंबर 2022) ₹ 5,000 प्रति वर्ग मीटर के आधार पर गणना की गयी।

[21] दिसंबर 2015 की मूल्यांकन सूची के अनुसार दर: ₹ 7,700/- वर्ग मीटर। कुल अतिक्रमित भूमि 27,000 वर्ग मीटर, यानि 22,358.70 वर्ग मीटर। अतिक्रमित भूमि की कुल कीमत 22358.70 x ₹ 7,700= ₹ 17.22 करोड़।

258.48 वर्ग मीटर भूमि (फरवरी 2017) अधिग्रहीत की। यद्यपि, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, लखनऊ ने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान की गयी 258.48 वर्ग मीटर भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 2.40[22] करोड़ की मांग नहीं की।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि अवस्थापना के संबंध में समेकित जानकारी विभाग के पास उपलब्ध है। झांसी में भूमि अतिक्रमण के संबंध में, खेल निदेशक ने समापन बैठक (जुलाई 2023) में बताया कि भूमि खाली कराने हेतु जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में भूमि अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अग्रेतर शासन ने बताया कि इटावा जिले में अनाधिकृत कुश्ती अकादमी को हटाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से भूमि क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है।

तथ्य यह है कि निर्धारित प्रारूप में संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही अभी भी नहीं की गयी थी।

(iii) खेल अवस्थापनाओं का अनुरक्षण नहीं किया गया

लेखापरीक्षा में खेल अवस्थापनाओं के खराब अनुरक्षण के विविध उदाहरण पाये गये, जिनकी चर्चा निम्नवत की गयी है:

- **तरणताल:** मार्च 2023 तक राज्य के 37 जनपदों के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों/क्रीड़ा अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में 37 में नौ[23] तरणताल नवीनीकरण कार्य, जीर्ण-शीर्ण होने और प्रशिक्षक/जीवन रक्षक की तैनाती न होने जैसे विभिन्न कारणों से अक्रियाशील थे। इसके अतिरिक्त राज्य के तीन स्पोर्ट्स कॉलेजों में से दो स्पोर्ट्स कॉलेजों, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ और मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई में तरणताल थे। गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में तरणताल उपयोग में नहीं था क्योंकि वर्ष 2016-22 की अवधि में कॉलेज में न तो कोई प्रशिक्षु था, न ही प्रशिक्षक और जीवन रक्षक था यद्यपि तरणताल के अनुरक्षण पर ₹ 5.68 लाख व्यय हुये। इसके अतिरिक्त मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज,

[22] सर्किल रेट (दिसम्बर 2015) के आधार पर गणना ₹ 93,000/- प्रति वर्ग मीटर।

[23] अमेठी, बागपत, बांदा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, सुल्तानपुर।

सैफई में तरणताल आंशिक रूप से उपयोग में था, जैसा कि प्रस्तर 2.2.8.4(ii) में विस्तृत रूप से बताया गया है।

- **इनडोर वॉलीबॉल हॉल:** राज्य में दो इनडोर वॉलीबॉल हॉल में से दोनों इनडोर हॉल जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं। बांदा जनपद में इनडोर वॉलीबॉल हॉल की कृत्रिम छत, खिड़कियां और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में छत से पानी टपक रहा था और सितंबर 2018 में भारी तूफान और बारिश के कारण कृत्रिम छत गिर गयी थी।
- **अन्य खेल अवस्थापनायें**: जनपद झांसी में बास्केटबॉल कोर्ट और लॉन टेनिस कोर्ट, जनपद बांदा में पांच सीमेंटेड नेट अभ्यास क्रिकेट पिचों में से तीन और गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में लॉन टेनिस कोर्ट जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि उपरोक्त खेल अवस्थापनायें विभिन्न कारणों से अक्रियाशील थीं, जैसे कि नवीनीकरण की आवश्यकता, प्रशिक्षक और जीवन रक्षक की अनुपलब्धता और पानी की अनुपलब्धता, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.4*** विस्तृत रूप से वर्णित है।

(iv) *अप्रयुक्त खेल अवस्थापना*

लेखापरीक्षा में अप्रयुक्त खेल अवस्थापना के कई उदाहरण पाए गए, जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

- **डोरमेट्री *:*** राज्य के 19 जनपदों में खेल विभाग के अंतर्गत 19 डोरमेट्री थे। राज्य में निर्मित डोरमेट्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, शासन ने खेल निदेशक को 13 जनपदों[24] में डोरमेट्री जिनका उपयोग नगण्य था, का उपयोग खेल छात्रावास के रूप में करने का निर्देश (जनवरी 2016) दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में इन 13 डोरमेट्री में से 12 का विवरण उपलब्ध कराया गया जिनमें (नौ डोरमेट्री) तीन से 117 दिनों तक उपयोग किया गया जबकि तीन डोरमेट्री (लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़ और सीतापुर) का वर्ष 2016-22 की अवधि में उपयोग नहीं किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.5*** में वर्णित है। शेष एक डोरमेट्री बस्ती के संबंध में विभाग ने सूचना नहीं उपलब्ध करायी।

[24] अंबेडकर नगर, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, हरदोई, कौशांबी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सीतापुर और वाराणसी।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि डोरमेट्री का उपयोग समय-समय पर प्रतियोगिताओं की अवधि में खेल टीमों के आवास हेतु किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निदेशालय ने डोरमेट्री के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की, जैसा कि शासन के निर्देश (जनवरी 2016) में निदेशालय को इन डोरमेट्री को खेल छात्रावास के रूप में उपयोग करने हेतु नीति बनाने हेतु कहा गया था। यद्यपि, ऐसी कोई नीति तैयार नहीं की गयी थी।

- **आजमगढ़ में छात्रावास भवन** : लेखापरीक्षा ने पाया कि खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु आजमगढ़ में निर्मित खेल छात्रावास भवन का उपयोग फरवरी 2008 में इसके निर्माण के पश्चात कभी नहीं किया गया, क्योंकि निदेशालय ने आवासीय सुविधा के साथ कोई खेल आवंटित नहीं किया था। यह भी पाया गया कि छात्रावास भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि खेलों का आवंटन न होने के कारण खेल छात्रावास का उपयोग नहीं किया जा सका।

फोटो 4: खेल छात्रावास भवन, आजमगढ़

- **अन्य खेल अवस्थापनायें**: अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीतापुर (महमूदाबाद) में कुश्ती हॉल और मेरठ में बास्केटबॉल कोर्ट का उपयोग प्रशिक्षक की कमी के कारण वर्ष 2016-22 की अवधि में नहीं किया गया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि 2023 तक मेरठ में बास्केटबॉल प्रशिक्षक की नियुक्ति कर दी गयी है। अग्रेतर शासन ने बताया कि प्रशिक्षक की नियुक्ति न होने के कारण सीतापुर (महमूदाबाद) में कुश्ती हॉल का उपयोग नहीं किया जा सका।

2.2.9 स्पोर्ट्स कॉलेज

खेल विभाग में तीन स्पोर्ट्स कॉलेज[25] हैं राज्य में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है, जोकि पूर्ण रूप से खेल विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं तथा उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसायटी, लखनऊ के माध्यम से प्रशासित हैं। सोसायटी का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नौ से 12 वर्ष की आयु के उदीयमान खिलाड़ियों चयन करना और उन्हें उपयुक्त खेल प्रशिक्षण के साथ-साथ पर्याप्त शिक्षा प्रदान करना ताकि वे असाधारण खिलाड़ी बन सकें, साथ ही उनका सर्वांगीण विकास हो सके। कॉलेज में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाता है जोकि शारीरिक परीक्षण और खेल कौशल/खेल परीक्षण पर आधारित हैं।

2.2.9.1 स्पोर्ट्स कॉलेज में सीटों के उपयोग में कमी

वर्ष 2016-22 की अवधि में स्पोर्ट्स कॉलेज में छात्रों की स्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या **तालिका 4** में दी गई है।

तालिका 4: स्पोर्ट्स कॉलेज में स्वीकृत संख्या के सापेक्ष वास्तविक संख्या

वर्ष	स्वीकृत संख्या			वास्तविक ताकत			रिक्त सीटें *(प्रतिशत में)*		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक(%)	बालिका(%)	कुल (%)
2016-17	968	222	1190	719	122	841	249(26)	100(45)	349(29)
2017-18	968	222	1190	732	148	880	236(24)	74(33)	310(26)
2018-19	1003	222	1225	682	149	831	321(32)	73(33)	394(32)
2019-20	1003	222	1225	692	158	850	311(31)	64(29)	375(31)
2020-21	1003	222	1225	591	126	717	412(41)	96(43)	508(41)
2021-22	1003	222	1225	549	114	663	454(45)	108(49)	562(46)

(स्रोत: स्पोर्ट्स कॉलेज)

तालिका-4 से स्पष्ट है, स्पोर्ट्स कॉलेज की स्वीकृत क्षमता वर्ष 2016-17 में 1,190 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1,225 हो गई। यद्यपि, वर्ष 2016-22 की अवधि में स्पोर्ट्स कॉलेज में 26 से 46 प्रतिशत तक सीटें रिक्त रहीं। वर्ष 2021-22 की अवधि में, मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज,

[25] गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ , बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई ।

सैफई, इटावा में सर्वाधिक सीटें रिक्त (57 प्रतिशत) थीं, उसके पश्चात् गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ (37 प्रतिशत) और बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर (35 प्रतिशत) थी। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायीं गयीं:

- मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई, इटावा ने वर्ष 2014-15 में अपना संचालन शुरू किया तथा उस वर्ष मात्र कक्षा छह में प्रवेश दिया गया। इसके पश्चात्, कॉलेज में प्रति वर्ष 80 छात्रों की दर से प्रवेश दिया जाना था। यद्यपि, छात्रों के छोड़ने/निष्कासित होने के कारण कॉलेज में नामांकन कम रहा और वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोविड-19 महामारी के कारण कोई प्रवेश नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त छात्रावास की सुविधा न होने के कारण[26], 20 बालिकाओं (बैडमिंटन-सात और जूडो-13) को मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई से बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर स्थानांतरित (अप्रैल 2022) कर दिया गया। इनमें से मात्र 13 खिलाड़ी (बैडमिंटन-एक और जूडो-12) बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में प्रवेश लिया। उल्लेखनीय है कि बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में बैडमिंटन और जूडो खेल से संबंधित अवस्थापनायें उपलब्ध नहीं थी।

- गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में लान टेनिस हेतु स्वीकृत क्षमता 30 छात्रों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में रिक्त सीटें 90 से 93 प्रतिशत तक थीं, जबकि वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में इस खेल में कोई छात्र नामांकित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सत्र 2018-19 से कॉलेज में बैडमिंटन हेतु 35 सीटें आवंटित की गयीं, यद्यपि वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि में मात्र 34 से 40 *प्रतिशत* सीटें ही भरी गयी।

- गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ द्वारा वर्ष 2016-17 में क्रिकेट में छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण अपनी स्वीकृत क्षमता 310 को अतिक्रमित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रिकेट में छात्रों की संख्या 81 (2016-17) से 29 (2017-18) तक अधिक थी।

समापन बैठक में शासन ने बताया कि कोविड-19 के कारण क्षमता का कम उपयोग हुआ है तथा इस कमी को दूर करने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

[26] दिनांक 5 मार्च 2020 को यूपी स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी की 102वीं बैठक का कार्यवृत्त।

तथ्य यह है कि क्षमता का कम उपयोग कक्षा छह में प्रारंभिक प्रवेश के पश्चात् खेल कॉलेजों से छात्रों के छोड़ने/निष्कासन के कारण भी हुआ, इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि में कोई प्रवेश नहीं हुआ।

2.2.9.2 खिलाड़ियों का छोड़ना/निष्कासन

उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी के प्रवेश विवरणिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार, छात्रों के अभिभावकों को अपने बच्चे को कॉलेज से निकालने हेतु सत्र शुरू होने से एक माह पूर्व सूचना देनी होती है। छात्र के कॉलेज छोड़ने की स्थिति में, समस्त प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और शिक्षा पर व्यय की गई धनराशि वसूल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य किसी भी छात्र को निर्धारित खेल/शैक्षणिक उपलब्धि हासिल न करने और अच्छा आचरण न रखने के कारण निष्कासित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, छात्र के प्रशिक्षण/शिक्षा पर किए गए पूर्ण व्यय की वसूली की जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ और बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर से 45 छात्रों ने कालेज छोड़ दिया, जबकि खेल और शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी के कारण 169 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई ने वर्ष 2016-22 की अवधि में 106 छात्रों के कालेज छोड़ने/निष्कासन के कारणों का विवरण नहीं दिया। अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रवेश विवरणिका में वर्णित प्रावधान के अनुसार कालेज छोड़ने वाले छात्रों के प्रशिक्षण और शिक्षा पर व्यय की गई राशि की वसूली नहीं की गयी। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, स्पोर्ट्स कालेज के प्रधानाचार्यों ने बताया कि ऐसी कोई वसूली/जब्ती नहीं की गई। यद्यपि, इसका कारण नहीं बताया गया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि छात्रों को खेल मूल्यांकन/शैक्षणिक परीक्षा में असफल होने, अनुशासनहीनता एवं पांच वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग न करने के कारण स्पोर्ट्स कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया।

2.2.9.3 शिक्षा की गुणवत्ता

स्पोर्ट्स कॉलेज में कक्षा छह से कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत (मानविकी विषय) शिक्षा दी जाती

है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को निजी अध्यापन लेने की अनुमति नहीं थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्पोर्ट्स कॉलेज में शैक्षणिक विषयों के शिक्षण हेतु स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, जिसका विवरण निम्नवत वर्णित है:

- गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में 14 शिक्षकों (11 शिक्षक और तीन सहायक शिक्षक) की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष वर्ष 2016-22 की अवधि में संविदा शिक्षकों सहित शिक्षकों की उपलब्धता छह (2021-22) और 11 (2018-19 और 2019-20) की अवधि में थी। वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा छह से आठ में 766 छात्र नामांकित थे; परन्तु कक्षा छह से आठ हेतु निर्धारित कला और पुस्तक कला विषय हेतु कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा नौ से 12 में 859 छात्र थे, जिनके लिये योग और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय था; परन्तु उक्त अवधि में इस विषय का कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-18 और 2020-21 की अवधि में हिंदी में 865 छात्रों (कक्षा छह से 12) एवं वर्ष 2016-17 की अवधि में संस्कृत में 145 छात्रों (कक्षा छह से 10) हेतु कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था। कक्षा 11 और 12 के सन्दर्भ में वर्ष 2016-19 और 2021-22 की अवधि में अर्थशास्त्र के 159 छात्रों, वर्ष 2016-19 की अवधि में समाजशास्त्र के 398 छात्रों और वर्ष 2016-18 की अवधि में नागरिक शास्त्र के 293 छात्रों हेतु कोई विषय विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-21 की अवधि में इतिहास और भूगोल विषयों हेतु शिक्षक तैनात थे; परन्तु इन विषयों में कक्षा 11 और 12 में कोई छात्र नहीं था।

- बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में वर्ष 2016-22 की अवधि में 11 शिक्षकों (चार शिक्षक और सात सहायक शिक्षक) की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष मानदेय के आधार पर नियुक्त संविदा शिक्षकों सहित कुल 10 शिक्षक कार्यरत थे। वर्ष 2016-22 की अवधि में, कक्षा छह से आठ तक 801 कला और पुस्तक कला के छात्र बिना विषय विशेषज्ञ शिक्षक के अध्ययन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा नौ से 12 तक अनिवार्य विषय के रूप में योग और शारीरिक शिक्षा के 822 छात्र बिना किसी विषय विशेषज्ञ शिक्षक के अध्ययन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा 11 और 12 में क्रमशः 191,

266 और 280 छात्र बिना किसी विषय विशेषज्ञ शिक्षक के वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र, भूगोल और समाजशास्त्र की पढाई कर रहे थे।

- मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत पांच सहायक अध्यापकों के पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर तीन से नौ संविदा शिक्षकों की तैनाती की गई थी। इस कॉलेज में कोई नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं था।

- दो स्पोर्ट्स कॉलेजों[27] में कक्षा 12 की यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणामों के विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत 505 छात्रों में से 190 छात्रों (38 *प्रतिशत*) ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया और प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 28 प्रतिशत (वर्ष 2017 में) से 72 प्रतिशत (वर्ष 2021 में) रहा। मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में वर्ष 2016-22 की अवधि में पंजीकृत और कक्षा 12 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के परिणाम का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

शासन द्वारा (जुलाई 2023) उत्तर में बताया गया कि शिक्षा विभाग से रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कई बार अनुरोध किया गया जिन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए उपलब्ध योग्य शिक्षकों से ही शिक्षण कार्य कराया जा रहा था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी, जिससे इन कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न हुयी। इसके अतिरिक्त 71 छात्रों[28] को उक्त कॉलेजों द्वारा शैक्षणिक अप्रदर्शन के कारण निष्कासित कर दिया गया, जो आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में दी जा रही शिक्षा की अपर्याप्त गुणवत्ता को दर्शाता है।

2.2.9.4 स्पोर्ट्स कॉलेज से संबंधित अन्य टिप्पणियां

स्पोर्ट्स कॉलेज की लेखापरीक्षा की अवधि में पाई गई अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

(i) बैठकों का कम आयोजन

उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी नियम और विनियम में प्रावधान है कि प्रबंधन बोर्ड की बैठक प्रत्येक वर्ष तिमाही में या जितनी अधिक बार आवश्यक

[27] गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ एवं बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर।

[28] गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ -22, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर -49।

हो, होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश प्रबंधन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में 24 बैठकों के सापेक्ष, प्रबंधन बोर्ड की केवल छह बैठकें[29] (25 *प्रतिशत)* आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी की चार बैठकें[30] भी आयोजित की गईं, यद्यपि सोसाइटी की बैठक आयोजित किये जाने हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं था। प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड की बैठक आयोजित करने में 17 महीने के विलम्ब पर आपत्ति जताई थी (जून 2017) और प्रत्येक तीन महीने में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। यद्यपि बैठकों की आवृत्ति कम रही।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि कोविड-19 के कारण बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2016-20 की अवधि में बैठकें आयोजित करने में भी कमी पाई गयी, अर्थात कोविड-19 महामारी से पहले की अवधि में भी।

(ii) **जिम्नास्टिक उपकरणों की कमी**

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में इस बात पर जोर दिया गया है कि उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपाय किये जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रमुख सचिव, खेल विभाग ने बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर के निरीक्षण में जिम्नास्टिक खिलाड़ियों की मांग पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के जिम्नास्टिक उपकरणों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (फरवरी 2011) ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और राज्य का नाम रोशन कर सकें। बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य ने खेल निदेशक को €1.44 लाख की लागत वाले फ्रांस निर्मित जिम्नास्टिक उपकरणों का प्राक्कलन प्रस्तुत किया (मार्च 2011)। चूंकि स्थापित जिम्नास्टिक उपकरण दस वर्ष से अधिक पुराने और अप्रचलित हो गए थे और खिलाड़ियों

[29] बैठक संख्या 98 दिनांक 19.06.2017, 99 दिनांक 26.10.2017, 100 दिनांक 31.05.2018, 101 दिनांक 29.01.2019 102 दिनांक 05.03.2020 एवं 103 दिनांक 16.12.2021।

[30] उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी नियम एवं विनियम के अनुसार, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष हैं। सोसाइटी की बैठकें 06.08.2019, 31.10.2019, 17.12.2019 और 30.06.2022 को आयोजित की गईं।

के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे, इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी की प्रबंधन बोर्ड की बैठक (मार्च 2015) में चर्चा की गयी। तदनुसार, प्रधानाचार्य ने खेल निदेशक को जिम्नास्टिक उपकरणों हेतु ₹ 1.05 करोड़ का संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया (अगस्त 2015) तथा कहा कि उपकरणों की खरीद में असुविधा होने की स्थिति में फर्श क्षेत्र हेतु केवल ₹ 35.90 लाख की स्वीकृति दी जा सकती है, क्योंकि उपकरणों की आवश्यकता अपरिहार्य थी। यद्यपि शासन से अपेक्षित निधि की अनुपलब्धता के कारण जिम्नास्टिक उपकरणों का क्रय नहीं किया जा सका (अगस्त 2022)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में 116 बालक और बालिकाओं ने जिम्नास्टिक खेल हेतु पंजीकरण[31] कराया था। उपयुक्त जिम्नास्टिक उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण, छात्रों ने पुराने उपकरणों के साथ अभ्यास किया।

समापन बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

(iii) अंतर-सदनीय प्रतियोगिता आयोजित न करना

स्पोर्ट्स कॉलेज की प्रवेश विवरणिका में उल्लेख है कि खिलाड़ियों में प्रबल खेल भावना और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर-सदनीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा विजेताओं को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई ने वर्ष 2016-21 की अवधि में कोई अंतर-सदनीय खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं की। इस प्रकार, कॉलेजों ने छात्रों को अंतर-सदनीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान नहीं किया, जिससे छात्रों में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सकता था।

(iv) खेल मैदान से उच्चवोल्टता लाइन नहीं हटाया जाना

बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर के खेल मैदान से दो उच्चवोल्टता लाइन गुजर रही थीं, जिससे खिलाड़ियों के अभ्यास में बाधा आ रही थी और उन्हें करंट लगने का डर था। इस संदर्भ में, नगरीय विद्युत वितरण

[31] 2016-17 में सभी नामांकित छात्र (69) और 2017-20 की अवधि में जिम्नास्टिक में नए प्रवेश (47) छात्र शामिल हैं।

खंड, गोरखपुर ने दिसंबर 2005 और अगस्त 2018 में लाइन शिफ्टिंग हेतु क्रमशः ₹ 25.60 लाख और ₹ 2.74 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य ने (अक्टूबर 2018) उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी से मुख्य मैदान से उच्चवोल्टता लाइनों को शिफ्ट करने हेतु ₹ 1.19 करोड़ प्रदान करने का अनुरोध किया। यद्यपि, उच्चवोल्टता लाइन को स्थानांतरित नहीं किया जा सका क्योंकि स्थानांतरित किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी (अगस्त 2022)।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि इन उच्चवोल्टता लाइनों को स्थानांतरित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि तथ्य यह है कि शासन ने आवश्यक धनराशि अवमुक्त नहीं की।

(v) जमानत राशि वापस न करना

स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रवेश विवरणिका में यह प्रावधान है कि प्रवेश के समय विद्यार्थियों के अभिभावकों को अनिवार्य रूप से दो हजार रुपए की जमानत राशि जमा करानी होगी। यह जमानत राशि विद्यार्थी के कॉलेज छोड़ने के समय छात्र पर बकाया राशि के समायोजन के पश्चात वापस कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्पोर्ट्स कॉलेजों ने जमानत राशि जमा करने से संबंधित किसी अभिलेख का रख रखाव नहीं किया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में 826 छात्रों[32] ने कक्षा VI में तीनों कॉलेजों में प्रवेश लिया और इस तरह ₹ 16.52 लाख[33] जमानत राशि के रूप में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में 492 छात्रों[34] ने कक्षा XII पास की, लेकिन कॉलेजों ने ₹ 9.84 लाख[35] जमानत राशि वापस नहीं की।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर और गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में, वर्ष 2016-17 से किसी भी छात्र ने जमानत राशि की वापसी हेतु अनुरोध नहीं किया एवं इसकी मांग किये जाने पर वापस कर दिया जाएगा। अग्रेतर बताया कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने के उपरांत जमानत राशि वापस कर देता है।

---

[32] गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज , लखनऊ में 273 छात्र, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज , गोरखपुर में 236 छात्र और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में 317 छात्र।

[33] चूंकि कोई पंजिका नहीं रखा गया था, इसलिए प्रति छात्र ₹ दो हजार की दर से गणना की गई।

[34] गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में 287 छात्र, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज , गोरखपुर में 205 छात्र। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्रों की स्थिति उपलब्ध नहीं कराई।

[35] चूंकि कोई पंजिका नहीं रखा गया था, इसलिए प्रति छात्र ₹ दो हजार की दर से गणना की गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज को अभिभावकों की मांग की प्रत्याशा किए बिना ही स्वतः संज्ञान लेकर जमानत राशि वापस करनी थी। इसके अतिरिक्त मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई ने स्वीकार किया (सितंबर 2023) कि जमानत राशि वापस नहीं की गई। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स कॉलेज जमानत राशि के संग्रह, वापसी और जब्ती के अभिलेखों के रख रखाव में विफल रहे।

2.2.10 प्रशिक्षण

खेल विभाग विभागीय प्रशिक्षकों और अंशकालिक प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग करके खेल छात्रावासों, स्पोर्ट्स कॉलेज और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायीं गयीं:

2.2.10.1 प्रशिक्षकों की कमी

खिलाड़ियों के कौशल को उन्नत करने और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन का उत्तरदायित्व प्रशिक्षक का था। वर्ष 2016-22 की अवधि में स्थायी और अंशकालिक प्रशिक्षकों की उपलब्धता **तालिका 5** में दी गई है।

तालिका 5: प्रशिक्षण शिविरों हेतु स्वीकृत और उपलब्ध प्रशिक्षकों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत प्रशिक्षकों की संख्या		उपलब्ध प्रशिक्षकों की संख्या		प्रशिक्षकों की कमी *(प्रतिशत में)*	
	स्थायी[36]	अंशकालिक	स्थायी	अंशकालिक	स्थायी	अंशकालिक
2016-17	209	450	130	322	79 (38)	128 (28)
2017-18	209	450	131	369	78 (37)	81 (18)
2018-19	209	450	141	390	68 (33)	60 (13)
2019-20	209	450	141	367	68 (33)	83 (18)
2020-21	209	450	134	0[37]	75 (36)	0
2021-22	209	450	130	179	79 (38)	271 (60)

(स्रोत: खेल निदेशालय)

तालिका 5 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-2020 और 2021-22 की अवधि में स्थायी और अंशकालिक प्रशिक्षकों की रिक्तियां क्रमशः 33 से 38 प्रतिशत और 13 से 60 प्रतिशत थीं। अंशकालिक प्रशिक्षकों की उपलब्धता के खेलवार विश्लेषण में पाया गया कि नौ खेलों[38] में वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष औसत कमी 50 से 83 प्रतिशत

[36] क्रीड़ा अधिकारी, उप क्रीड़ा अधिकारी और सहायक प्रशिक्षक शामिल हैं।

[37] खेल निदेशालय के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

[38] तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कराटे, कयाकिंग और कैनोइंग, लॉन टेनिस, रोइंग, स्क्वैश, तैराकी।

(परिशिष्ट 2.2.6) तक थी। चूंकि प्रत्येक प्रशिक्षक एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने हेतु उत्तरदायी था, इसलिए प्रशिक्षकों की कमी ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और उनके कौशल विकास में बाधा उत्पन्न की। नमूना जाँच हेतु चयनित 13 जनपदों में से दो[39] में, वर्ष 2016-22 की अवधि में तैराकी, मुक्केबाजी, लॉन-टेनिस, शूटिंग और स्क्वैश में प्रशिक्षक के बिना 4,012 खिलाड़ी पंजीकृत थे और अभ्यास कर रहे थे ***(परिशिष्ट 2.2.7)***।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वर्तमान में 115 स्थायी और 402 अंशकालिक प्रशिक्षक की तैनाती की गयी है। अग्रेतर शासन ने बताया कि तैराकी, मुक्केबाजी, लॉन टेनिस, निशानेबाजी और स्क्वैश में निर्धारित मानकों के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण तैनाती पूरी नहीं हो पायी। शासन ने यह भी बताया कि आवश्यक संख्या में प्रशिक्षकों की तैनाती पूरी करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2.2.10.2 प्रशिक्षुओं का चोट प्रबंधन

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में खिलाड़ियों हेतु किसी भी आकस्मिक घटना/आवश्यकता की स्थिति में पर्याप्त बीमा कवर और चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन ने खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों को चिकित्सा सुविधाओं हेतु प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष 2,000 रुपये का प्रावधान किया है। स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों के संबंध में, शासन ने उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु चिकित्सा अधिकारी[40] का पद स्वीकृत किया था। इसके अतिरिक्त शासन ने वर्ष 2016-22 की अवधि में प्रत्येक खेल स्टेडियम में फिजियोथेरेपी केंद्र की स्थापना हेतु भी प्रावधान किया। यद्यपि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की चोट प्रबंधन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जैसा कि खेल निदेशालय द्वारा पुष्टि की गई (जुलाई 2024)।

लेखापरीक्षा ने स्पोर्ट्स कॉलेज, खेल छात्रावासों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और खेल स्टेडियमों में फिजियोथेरेपी केंद्रों की स्थापना से संबंधित अभिलेखों की जांच की और पाया कि:

---

[39] आगरा और झांसी।

[40] वर्ष 2016-22 की अवधि में प्रत्येक स्पोर्ट्स कॉलेज में एक-एक।

- तीन स्पोर्ट्स कॉलेज में से दो स्पोर्ट्स कॉलेज अर्थात बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर और मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त था। परिणामस्वरूप, अस्पताल/औषधालय भवन ***(परिशिष्ट 2.2.8)*** भी वर्ष 2016-22 की अवधि में कम उपयोग में रहे।
- नमूना जाँच हेतु चयनित 13 क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय में से केवल दो[41] जनपदों में फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध थे। इस प्रकार, खिलाड़ियों हेतु चोट प्रबंधन की अवधारणा अपर्याप्त थी।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि छात्रावासों में रहने वाले खिलाड़ियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु प्रति खिलाड़ी ₹2,000 का प्रावधान किया गया है। अग्रेतर शासन ने बताया कि जुलाई 2023 से जनपद स्तर पर आयुष्मान भारत योजना के तहत खिलाड़ियों को चिकित्सा लाभ भी स्वीकृत किया गया है। समापन बैठक में शासन ने आश्वासन दिया कि प्राथमिक चिकित्सा चोट प्रबंधन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.2.10.3 आहार प्रबंधन प्रणाली

एक खिलाड़ी का दैनिक ऊर्जा सेवन शरीर के कार्यों, गतिविधि और विकास हेतु शीघ्र ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, साथ ही शरीर के ऊर्जा भंडार को भी प्रभावित करता है। शासन ने सभी खेल विधाओं हेतु स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल छात्रावासों में प्रत्येक खिलाड़ी हेतु प्रतिदिन ₹375 आहार धनराशि के रूप में निर्धारित (दिसंबर 2021) की गयी। इससे पूर्व, खेल छात्रावासों हेतु ₹250 एवं स्पोर्ट्स कॉलेज हेतु ₹200 की दरें प्रभावी थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने खिलाड़ियों के पोषण स्तर का मूल्यांकन करने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया। इसके अतिरिक्त शासन ने कैलोरी की खेल-वार आवश्यकता पर विचार किए बिना आहार प्रबंधन (अक्टूबर 2020) लागू किया। इस प्रकार, खिलाड़ियों का आहार प्रबंधन खिलाड़ियों के पोषण स्तर और विशिष्ट खेलों के अनुसार उनकी आवश्यकताओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित नहीं था।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि शासनादेश (दिसम्बर 2021) के अनुसार आवासीय खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों को प्रतिदिन ₹ 375 की दर से आहार सूची के आधार पर आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। समापन

[41] फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर की सुविधा केवल केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थापित की गई थी, जबकि ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में मानदेय के आधार पर फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति की गई थी।

बैठक में शासन ने आश्वासन दिया कि आहार प्रबंधन पर लेखापरीक्षा सुझावों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.2.10.4 डोपिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अपर्याप्त प्रयास

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जो खेलों में देश के डोपिंग रोधी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खेल विभाग ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों/दवाओं की सूची उपलब्ध नहीं कराई, इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में प्रशिक्षकों को भी खिलाड़ियों हेतु राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था के नियमों/प्रतिबंधित पदार्थों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित नहीं किया गया। डोपिंग के प्रभाव के सम्बन्ध में खिलाड़ियों की जागरूकता हेतु कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया। इस प्रकार, खेल विभाग ने डोपिंग के संबंध में प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के मध्य जागरूकता हेतु कोई उपाय नहीं किया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में डोपिंग के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की।

2.2.11 खेलकूद का वातावरण

2.2.11.1 प्रशासनिक मानवशक्ति की कमी

विभाग के विभिन्न कार्यों को पूरा करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरा जाना आवश्यक था, क्योंकि विशेषकर लम्बी अवधि तक मानवशक्ति की कमी से विभाग का निष्पादन प्रभावित होता है।

खेल विभाग के समूह बी, सी और डी संवर्ग में मार्च 2022 तक, मानवशक्ति की कुल कमी 36 प्रतिशत से 48 प्रतिशत के मध्य थी ***(परिशिष्ट 2.2.9)***। इसमें क्रीड़ा अधिकारी (19 प्रतिशत), उप क्रीड़ा अधिकारी (24 प्रतिशत) और सहायक प्रशिक्षक (92 प्रतिशत) की रिक्तियां शामिल है, जो खेल विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों हेतु स्थायी प्रशिक्षक हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेवा नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने, पोषक संवर्ग से पदों को भरे जाने की स्थिति में पदोन्नति हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता और भर्ती करने वाली संस्था के प्रश्नों के स्पष्टीकरण प्रदान करने में विलम्ब के कारण रिक्तियां परिलक्षित थीं।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में रिक्तियाँ होने के विभिन्न कारण बताये, जैसे कि शासन स्तर/उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग स्तर पर लंबित प्रस्ताव, पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता,

सेवा नियमों को अंतिम रूप दिए जाने का लंबित होना आदि, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.9*** में वर्णित है।

2.2.11.2 महिला खिलाड़ियों की भागीदारी

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में यह प्रावधान है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे। खेल विभाग का लक्ष्य खेल संघों, शैक्षणिक संस्थानों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खेलों में महिलाओं की भागीदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में खेल विभाग ने 26 से 71 जनपदों में 22 से 32 खेलों हेतु 2,105 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, जिनमें महिला खिलाड़ियों की भागीदारी 18 से 22 प्रतिशत रही ***(परिशिष्ट 2.2.10)***। आगरा में दो प्रशिक्षण शिविरों और रायबरेली में एक प्रशिक्षण शिविर को छोड़कर, महिला खिलाड़ियों को समर्पित कोई अलग से प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-20 *की* अवधि में 44 खेल छात्रावासों में से महिला खिलाड़ियों हेतु 12 छात्रावासों का उपयोग 18 से 30 प्रतिशत तक नहीं हो पाया ***(परिशिष्ट 2.2.11)***, जबकि वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि में महिला खिलाड़ियों के छात्रावासों में क्रमशः 77 प्रतिशत और 71 प्रतिशत रिक्तियाँ रहीं, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी है। महिला खिलाड़ियों से संबंधित अन्य विषयों पर विवरण निम्नवत हैं:

(i) महिला खिलाड़ियों के अधिकार

भारत सरकार ने महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश प्रसारित किये (अगस्त 2010) हैं, जिनमें पीड़िताओं द्वारा की गयी शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

खेल निदेशालय ने लेखापरीक्षा को बताया (जुलाई 2024) कि निदेशालय में गठित कामकाजी महिलाओं के यौन और मानसिक उत्पीड़न संबंधी समिति महिला खिलाड़ियों से प्राप्त शिकायतों का निवारण भी करती है। यद्यपि वर्ष 2016-22 की अवधि में महिला खिलाड़ियों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। निदेशालय ने अग्रेतर बताया कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने महिला खिलाड़ियों से प्राप्त यौन और मानसिक उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु एक समिति गठित (जुलाई 2023) की थी। यद्यपि निदेशालय

को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वर्ष 2016-22 की अवधि में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा ऐसी कोई समिति गठित की गयी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि:

- नमूना जाँच किये गये 13 जनपदों में से नौ के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा बताया गया कि महिला खिलाड़ियों की शिकायतों से निपटने हेतु जनपद स्तर पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गयी है। यद्यपि तीन[42] नमूना जाँच किये गये जनपदों ने बताया कि जब भी शिकायतें प्राप्त हुयीं, उनका निवारण किया गया और क्षेत्रीय खेल अधिकारी, लखनऊ ने बताया कि एक महिला सहायता केंद्र का गठन किया गया था।

- नमूना जांच किये गये 13 जनपदों में से किसी भी जनपद में वर्ष 2016-22 की अवधि में लिंग संवेदीकरण शिविर आयोजित नहीं किया गया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि महिला खिलाड़ियों की यौन उत्पीड़न शिकायतों के निवारण हेतु निदेशालय स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेलगाड़ी में यात्रा करते समय महिला खिलाड़ियों के साथ महिला प्रशिक्षक को भेजने की व्यवस्था की जाती है। जनपद/मंडल स्तर पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के मामलों में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/जिला क्रीड़ा अधिकारी पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त करते हैं। निदेशालय ने अग्रेतर बताया (जुलाई 2024) कि वर्ष 2016-22 में महिला खिलाड़ियों से जुड़े प्रशिक्षण/ प्रतियोगिता की अवधि में जनपद स्तर पर पुलिस/स्थानीय प्रशासन की सहायता से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, पृथक से कोई प्रणाली विकसित नहीं थी।

(ii) महिला प्रशिक्षकों की कमी

वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत स्थायी और अंशकालिक प्रशिक्षकों के सापेक्ष, उपलब्ध महिला प्रशिक्षकों का प्रतिशत क्रमशः 11 से 12 प्रतिशत और आठ से 21 प्रतिशत था ***(परिशिष्ट 2.2.12)***। शासनादेश में यह प्रावधान है कि यदि प्रशिक्षण शिविर में महिला खिलाड़ियों की संख्या अधिक है तो महिला खेलों हेतु अलग से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा सकता है। तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में कुल 2,105 प्रशिक्षण शिविरों ***(परिशिष्ट 2.2.13)*** में से 106 में महिला खिलाड़ियों का प्रतिशत

[42] आगरा, बांदा और बरेली।

प्रशिक्षण शिविरों हेतु पंजीकृत कुल खिलाड़ियों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक था, लेकिन आगरा में दो प्रशिक्षण शिविरों और रायबरेली में एक प्रशिक्षण शिविर को छोड़कर महिला खिलाड़ियों हेतु कोई अलग प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि महिला खिलाड़ियों के अधिक प्रतिभाग किये जाने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने के उपरांत महिला प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं। शासन द्वारा अग्रेतर बताया गया कि महिला प्रशिक्षकों हेतु कोई अलग आरक्षण नीति उपलब्ध नहीं है। समापन बैठक (जुलाई 2023) में शासन द्वारा बताया गया कि महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

2.2.11.3 खेल संघों/महासंघों

राज्य खेल संघ खेलों के प्रतिस्पर्धात्मक पक्ष हेतु उत्तरदायी हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु टीमें भेजते हैं। खेल विभाग ऐसे आयोजनों के संचालन हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता उन खेल संघों को प्रदान की जाती है जो सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों को स्वीकार करते हैं। खेल विभाग, दिशा-निर्देशों में दिए गए नियमों और शर्तों को पूरा करने पर खेल संघों को मान्यता प्रदान करता है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मार्च 2022 तक 34 खेल संघों ने खेल विभाग के दिशा-निर्देशों को स्वीकार कर लिया था। यद्यपि खेल विभाग और खेल संघों के बीच समन्वय अपर्याप्त था। 34 खेल संघों में से मात्र 16 संघों ने मार्च 2022 तक खेल विभाग को पदाधिकारियों की सूची प्रदान की। इसके अतिरिक्त खेल विभाग ने वर्ष 2016-22 की अवधि में खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु मात्र पाँच[43] खेल संघों को ₹ 20.24 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.2.14)*** की वित्तीय सहायता प्रदान की।

अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार राज्य खेल संघों[44] में विवाद थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की जा रही थी एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कोई टीम नहीं भेज रहे थे। यद्यपि खेल विभाग इन चार खेलों में से तीन खेल हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा था एवं वर्ष 2016-22 की अवधि में इन शिविरों में

[43] बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, हैंडबॉल और भारोत्तोलन।

[44] उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग महासंघ लखनऊ/कानपुर, उत्तर प्रदेश नेटबॉल महासंघ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो महासंघ लखनऊ, उत्तर प्रदेश शूटिंग बॉल महासंघ मेरठ।

5,450 खिलाड़ी नामांकित थे ***(परिशिष्ट 2.2.15)***। यद्यपि उक्त खिलाड़ी राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सके। निदेशालय ने बताया (मार्च 2022) कि खेल संघों में विवाद के कारण, टीमों का चयन नहीं किया गया और उन्हें प्रतियोगिता हेतु नहीं भेजा गया।

समापन बैठक (जुलाई 2023) में शासन द्वारा बताया गया कि खेल संघों/महासंघों और खेल विभाग के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

2.2.11.4 दिव्यांग खिलाड़ियों को सहायता का अभाव

खेल विभाग दिव्यांग खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों की तरह ही पुरस्कार और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। नमूना जांच किये गये जनपदों में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- चार जनपदों (आगरा, बरेली, लखनऊ और मेरठ) में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु शौचालय और रैंप जैसी अलग सुविधाएं उपलब्ध थीं। मेरठ में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु भारोत्तोलन हॉल और एथलेटिक मैदान उपलब्ध थे। यद्यपि अन्य नौ नमूना जांचे गए जनपदों में वर्ष 2016-22 की अवधि में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु ऐसी कोई अलग सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

- नमूना जांच किये गये किसी भी जनपद में वर्ष 2016-22 की अवधि में दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति खिलाड़ियों को जागरूक करने हेतु कोई संवेदीकरण अभियान नहीं चलाया गया।

- खेल विभाग ने दिव्यांग खिलाड़ियों के मध्य खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि इसने वर्ष 2016-22 की अवधि में बरेली को छोड़कर समस्त नमूना जांच किये गये जनपदों में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु विशेष रूप से समर्पित कोई टूर्नामेंट/प्रतियोगिता आयोजित नहीं किया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि दिव्यांग खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अग्रेतर शासन द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन को मई 2023 में मान्यता प्रदान की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांग खिलाड़ियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

2.2.12 अनुश्रवण

2.2.12.1 खिलाड़ियों के संकलित डेटाबेस अनुरक्षित न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खेल विभाग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सूचना संकलित की थी। यद्यपि खेल विभाग द्वारा निर्मित खेल सुविधाओं में प्रशिक्षित किए जा रहे उदीयमान खिलाड़ियों के संबंध में संकलित डेटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। इस तरह के डेटाबेस विभिन्न खेल विषयों हेतु बेहतर योजना बनाने और संसाधनों की आवश्यकता के आधार पर आवंटन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों की सूचना जनपद खेल कार्यालयों और क्षेत्रीय खेल कार्यालयों में संकलित की जाती है।

तथ्य यह है कि निदेशालय स्तर पर खिलाड़ियों का डाटाबेस संकलित नहीं किया गया था, इसके अतिरिक्त नमूना जांच किये गये जनपदों में मात्र दो[45] जनपद खेल कार्यालयों ने सूचित किया, कि खिलाड़ियों का डाटाबेस संधारित किया गया था।

2.2.12.2 निर्माण कार्यों का अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण

शासन द्वारा निर्देशित किया गया (नवम्बर 2015) कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु खेल अवस्थापनाओं के निर्माण पर जनपद स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराई जाये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा जनपद स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति की मासिक रिपोर्ट निदेशालय को अग्रेषित नहीं की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनपद गुणवत्ता समिति ने गुणवत्ता का परीक्षण केवल नवनिर्मित खेल अवस्थापनाओं के हस्तानान्तरण के समय ही किया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शासन के निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009 से निदेशालय स्तर पर सहायक अभियंता का पद रिक्त होने के कारण निर्माण कार्यों की इस प्रगति रिपोर्ट की समुचित जांच नहीं की गयी।

[45] प्रयागराज और सीतापुर।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर पर समिति गठित की गयी थी तथा समय-समय पर विभागीय अधिकारी द्वारा जनपद में निरीक्षण सुनिश्चित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि समस्त चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट प्रत्येक माह निदेशालय को प्राप्त नहीं होती थी।

2.2.13 निष्कर्ष

राज्य खेल नीति के अभाव में राज्य में वर्ष 2016-22 की अवधि में खेलों के प्रोत्साहन और विकास हेतु उठाए गए कदम अधिकांशतः तदर्थ थे। उत्कृष्टता हासिल करने हेतु खेल विधाओं की प्राथमिकता तय नहीं की गयी।

बजटीय संसाधनों का तर्कसंगत आवंटन नहीं किया गया, जिससे अत्यधिक बचत हुयी, जबकि सुविधाओं को धनराशि की कमी का सामना करना पड़ा। विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापनाओं को व्यापक बनाने हेतु कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गये, क्योंकि पांच जनपदों में मूलभूत खेल सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। परियोजनाओं को व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बिना, अथवा धन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना या उनके पूर्ण होने की समयसीमा का निर्धारण किये बिना स्वीकृति प्रदान की गयी। परिणामस्वरूप, निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। नमूना जाँच वाले जनपदों में भारी निवेश के बाद बनायी गयी कई खेल अवस्थापनायें अप्रयुक्त पड़ी थीं, जिनमें से कई अवस्थापनाओं को मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता थी। अन्य स्थानों पर उपकरणों और सुविधाओं की कमी थी। स्पोर्ट्स कॉलेजों में बड़े पैमाने पर छोड़ना/निष्कासन हुआ और बहुत सीटें रिक्त रहीं।

इसी तरह**,** खेल विभाग प्रशिक्षकों की कमी को उचित ढंग से दूर नहीं कर पाया। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं न लेना, निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देने हेतु डोपिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु कोई तंत्र न होना, महिलाओं की कम भागीदारी, महिला प्रशिक्षकों की कमी और दिव्यांग खिलाड़ियों को अपर्याप्त सहायता आदि जैसी कमियां परिलक्षित हुईं ।

2.2.14 अनुशंसायें

- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल अवस्थापनाओं का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षण और आवश्यकता के आकलन के उपरांत किया जाय। ऐसे प्रकरणों में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए जहाँ उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने के कारण अवस्थापनाओं के निर्माण पर अलाभकारी व्यय हुआ।
- खेल सुविधाओं और उपकरणों के अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य ससमय किया जाना चाहिए और उचित मूल्यांकन के उपरांत वर्ष के प्रारंभ में ही बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन संबंधितों एवं संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जहां ये सुविधाएं क्षतिग्रस्त और उपेक्षित हैं।
- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण एजेंसियों के साथ समझौते में अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए, साथ ही उल्लंघन हेतु दंड का प्रावधान भी हो तथा कार्य पारदर्शी, उत्तरदायी और समयबद्ध रूप से निष्पादित किए जाएं।
- प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। साथ ही शासन द्वारा उचित संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं ली जानी चाहिए।
- शासन को समस्त खेल प्रशिक्षुओं की प्रगति पर पर्याप्त निगरानी रखने हेतु डाटाबेस अनुरक्षित करवाना चाहिए।
- खिलाड़ियों की शिकायतों से निपटने हेतु सभी जनपदों में एक उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाना चाहिए।
- खिलाड़ियों/खेल प्रशिक्षुओं के मध्य निष्पक्ष खेल और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने हेतु डोपिंग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने हेतु ठोस उपाय किए जाने चाहिए।
- राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल विभाग और खेल संघों के मध्य अच्छा समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।